न्यायालय अवर न्यायाधीश,प्रथम्

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0—01 सन् 2024

रामचंद्र राय वगै0............................वादीगण।

बनाम

राजकिशोर राय वगै0...........................प्रतिवादीगण।

दिनांक— 20.06.2025

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से स्थानीय अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ति हेतु दाखिल आवेदन दिनांक 10.01. 2025 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद वादीगण की ओर से दाखिल कर खतियानी भूमि पर बंटवारा हेतु वाद लाया है तथा प्रतिवादीगण को कोई सरोकार नहीं है। प्रतिवादीगण भूमि को खरीद बिकी तथा भूमि पर मकान, दलान, दुकान जबरदस्ती कुल प्रतिवादीगण बना चुके हैं तथा कुछ प्रतिवादीगण बनाने वास्ते दावा खोदकर, ईटा, गिट्टी, बालू, छड़ इत्यादि मकान बनाने की सामग्री एकत्रित कर चुके है एवं निर्माण करने की तैयारी में हैं। इसलिए अधिवक्ता आयुक्त का रिपोर्ट रेकर्ड पर आना अति अवश्यक है। तकरारी भूमि का स्वरूप परितर्वतन होने से वादी को अपूर्णिय क्षति है। अतः निवेदन है कि वाद की अनुसूची सं0 02 की कुल भूमि का किसी अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति कर नजरी नक्सा के साथ रिपोर्ट रेकार्ड पर मंगाने की कृपा प्रदान की जाए।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 18.02.2025 को दाखिल कर विरोध किया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति कर तकरारी एराजी अनुसूची सं0 02 की भूमि की वर्तमान वस्तु स्थिति अभिलेख पर लाने हेतु दाखिल किया है। वादी का आवेदन में कथन है कि प्रतिवादीगण भूमि को खरीद बिकी तथा भूमि पर मकान, दलान, दुकान जबरदस्ती कुल प्रतिवादीगण बना चुके हैं तथा कुछ प्रतिवादीगण

बनाने वास्ते दावा खोदकर, ईटा, गिट्टी, बालू, छड़ इत्यादि मकान बनाने की सामग्री एकत्रित कर चुके है एवं निर्माण करने की तैयारी में हैं। ऐसी परिस्थिति में वाद के सम्यक न्याय निर्णयन के लिए तकरारी एराजी का वर्तमान भौतिक स्वरूप अभिलेख पर आना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी की ओर से दाखिल अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ति आवेदन दिनांक 10.01.2025 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी अधिवक्ता आयुक्त शुल्क 3000/–रूपया नजारत में जमा करें। अधिवक्ता आयुक्त के रूप में श्री अरविन्द कुमार सिंह को नियुक्ति किया जाता है। वाद दिनांक....................को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज, प्रथम्
सोनपुर, सारण।